

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग


क्रमांक: प.10(7)नविनि/3/1997

जयपुर, दिनांक: 01 FEB 2024

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08.05.2003 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अन्तर्गत अनुमोदित शाहपुरा मास्टर प्लान-2023 की समयावधि क्षितिज वर्ष-2023 को समाप्त हो रही है, की एतद्वारा एक वर्ष की अवधि अथवा नवीन मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।


यह मास्टर प्लान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18.11.1997 के द्वारा अधिसूचित "शाहपुरा नगरीय क्षेत्र" के लिए लागू रहेगा।



(जुगल किशोर मीणा)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर ग्रामीण।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य नर नियोजक(पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय